NHRC Hosts Conference with State Human Rights Commissions and Special Rapporteurs

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3193553-kdmc-reclaims-parking-lot-contractor-owes-over-rs-18-crore

NHRC Acting Chairperson, Smt. Vijaya Bharathi Sayani, opened the conference by emphasizing the critical need for cooperation among human rights institutions.

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 13-12-2024 22:17 IST | Created: 13-12-2024 22:17 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) of India organized a pivotal conference with State Human Rights Commissions (SHRCs), Special Rapporteurs, and Monitors to foster collaboration and enhance the promotion and protection of human rights nationwide. The event, held in New Delhi, focused on bridging gaps in the human rights framework and streamlining efforts at both the national and state levels.

NHRC Acting Chairperson, Smt. Vijaya Bharathi Sayani opened the conference by emphasizing the critical need for cooperation among human rights institutions. She outlined key challenges, such as managing complaints efficiently, disseminating NHRC advisories across states, and sharing best practices for actionable outcomes.

Sayani urged SHRCs to prioritize visits to vulnerable facilities, including Ashramshalas, mental health institutions, and shelters, to assess on-ground conditions and ensure the effective implementation of human rights initiatives.

NHRC Secretary General, Shri Bharat Lal, reinforced the importance of collaboration, highlighting the need for SHRCs to actively follow up with state authorities on NHRC advisories aimed at protecting marginalized groups. He also advocated for the integration of SHRCs into the HRCNet portal, a digital platform to streamline communication and avoid redundancy in interventions.

Sessions and Deliberations

Session One Chaired by Acting Chairperson Sayani, the first session delved into improving complaint management, capacity building for SHRCs, and enhancing follow-up mechanisms on NHRC recommendations. Participants exchanged best practices and discussed actionable strategies to strengthen state-level human rights monitoring.

Session Two The second session, chaired by Secretary General Bharat Lal, focused on optimizing the roles of NHRC Special Rapporteurs and Monitors. It emphasized the importance of concise, parameter-based reporting to enable precise recommendations

to government authorities. Expanding the scope of assessment visits and setting an annual calendar of activities with SHRC support were also prioritized.

Key Takeaways and Future Directions

The conference resulted in actionable ideas to enhance synergy between NHRC, SHRCs, and Special Rapporteurs. These include:

Enhanced Field Visits: Regular visits to facilities for vulnerable populations to bridge implementation gaps.

Integrated Digital Framework: Full integration of SHRCs into the HRCNet portal to avoid duplication and enhance efficiency.

Capacity Building: Training programs for SHRC officials to improve their ability to manage complaints and execute NHRC advisories.

Focused Reporting: Standardized and concise reporting formats for Special Rapporteurs to improve the effectiveness of recommendations.

The NHRC reiterated its commitment to working closely with SHRCs to ensure that human rights efforts reach grassroots levels, benefiting the most vulnerable sections of society.

Participants and Attendance

The conference brought together Chairpersons, Members, and senior officers from SHRCs across the country, along with NHRC officials, Special Monitors, and Rapporteurs. This collective effort reflects the shared goal of strengthening India's human rights institutional framework.

This initiative underscores NHRC's dedication to fostering inclusivity, accountability, and efficiency in its mission to uphold human rights across the nation.

वनभूलपुरा हिंसा में हुई मौत में 10 माह बाद दर्ज हुआ मुकदमा

https://www.livehindustan.com/uttarakhand/haldwani/story-police-file-involuntary-manslaughter-case-in-haldwani-violence-after-10-months-201734099753948.amp.html

-आठ फरवरी को हुई हिंसा में क्षेत्र में गंभीर रूप से घायल मिला था सब्जी

Newswrap हिन्दुस्तान, हल्द्वानी Fri, 13 Dec 2024, 07:52:PM

हल्द्वानी, कार्यालय संवाददाता। वनभूलपुरा हिंसा में जान गंवाने वाले अलबशर की मौत के मामले में पुलिस ने दस महीने बाद शुक्रवार को गैर इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को मामले में बीती 24 मार्च को मृतक के पिता ने तहरीर दी थी लेकिन पुलिस जांच में ही उलझी रही। यह मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक भी पहुंचा था। इस हिंसा में छह लोगों की मौत हो गई थी।

इस साल ही आठ फरवरी को अतिक्रमण हटाने के लिए वनभूलपुरा गई नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया था। पत्थरबाजी के अलावा गोलीबारी की थी। हिंसा के दौरान ताज मस्जिद के सामने वाली गली में रहने वाले सब्जी विक्रेता अब्दुल माजिद का बेटा अलबशर भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों को खबर मिली तो उसे डॉ. सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान 17 दिन बाद 25 फरवरी को अलबशर की मौत हो गई थी। मृतक के पिता अब्दुल माजिद ने 24 मार्च को पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि अज्ञात लोगों ने उनके बेटे को जान-बूझकर चोट पहुंचाई। जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने उस वक्त मुकदमा दर्ज न कर मामले की जांच करने की बात कही। पुलिस को जांच करने में करीब 10 महीने लग गए लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। अब वनभूलपुरा थाना पुलिस ने शुक्रवार को तहरीर के आधार पर पर अलबशर की गैर इरादतन हत्या के आरोप में आईपीसी की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के पिता ने इस संबंध में **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग**, नई दिल्ली को भी तहरीर की प्रति भेजी थी। उधर, एसएसपी पीएन मीणा ने बताया कि अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

NHRC ने नई दिल्ली में 'मानसिक स्वास्थ्य: कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव का समाधान' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया

https://insamachar.com/nhrc-%E0%A4%A8%E0%A5%87-%E0%A4%A8%E0%A4%88-%E0%A4%A6%E0%A4%BF%E0%A4%B2%E0%A5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80-%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82-%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%B8%E0%A4%BF%E0%A4%95-%E0%A4%B8/

Editor Posted on13 दिसम्बर 2024

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 'मानसिक स्वास्थ्य: कक्षा से कार्यस्थल तक तनाव का समाधान' विषय पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया । इस सम्मेलन में मानसिक स्वास्थ्य, तनाव और स्वास्थ्य के बीच संबंधों पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ, नीति निर्माता और हितधारक एक मंच पर साथ आए।

एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष विजया भारती सयानी ने उद्घाटन सत्र में मुख्य भाषण देते हुए एक ऐसा विश्व बनाने का आह्वान किया, जहाँ मानसिक स्वास्थ्य एक बाद की बात न हो, बल्कि हमारे जीने, कार्य करने और आगे बढ़ने का एक बुनियादी पहलू हो। शिक्षकों और प्रशासकों को भी संकट के संकेतों को पहचानने और छात्रों को समय पर सहायता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। जबकि डिजिटल उपकरणों ने शिक्षा में क्रांति ला दी है, वे सोशल मीडिया, साइबर-बदमाशी और सूचनाओं के अत्यधिक संपर्क जैसी चुनौतियाँ भी लेकर आए हैं। हमेशा ऑनलाइन रहने वाली संस्कृति में अक्सर चिंतन या मानसिक विश्राम के लिए बहुत कम स्थान रहता है, जिससे तनाव में वृद्धि होती है।

विजया भारती सयानी ने कार्यस्थल पर तनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि संगठनों को स्वास्थ्य कार्यक्रमों से आगे बढ़कर सहानुभूति और देखभाल की वास्तविक संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि काम का दबाव केवल करियर की शुरुआत में कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पदों के सभी स्तर पर है। परिवारों और समुदायों की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। सहयोग देने वाले संबंध, मानसिक स्वास्थ्य की आधारशिला हैं। यह स्वीकार करके कि मानसिक स्वास्थ्य एक साझा जिम्मेदारी है, हम सामूहिक रूप से एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकते हैं जो उपलब्धियों के साथ-साथ स्वास्थ्य को भी महत्व देता है। उन्होंने शांति प्राप्त करने में मानसिक अनुशासन और आत्म-जागरूकता के निम्नलिखित सिद्धांतों की प्रासंगिकता के बारे में भारतीय शास्त्रों के महत्व को भी रेखांकित किया।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने कहा कि मानसिक तनाव और स्वास्थ्य को पूरी तरह समझने की जरूरत है। विभिन्न हितधारकों के बीच संवाद हमारे समाज के विभिन्न वर्गों को प्रभावित करने वाली इस गंभीर समस्या का समाधान खोजने का उपाय है।

इससे पहले एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल ने कहा कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियाँ बहुत गंभीर हैं। अकेले 2022 में 1.7 लाख से ज़्यादा आत्महत्याएँ दर्ज की गईं, जिनमें से 41 प्रतिशत पीड़ित 30 वर्ष से कम आयु के थे। यह आँकड़े संकट का समाधान करने के लिए व्यवस्थागत बदलाव और बहु-क्षेत्रीय सहयोग की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करता है। भारत में 15 से 24 वर्ष की आयु के लोगों में आत्महत्या की दर सबसे ज़्यादा है, जो युवा आत्महत्या के अंतरराष्ट्रीय रुझानों के अनुरूप है। भारत में दर्ज की गई आत्महत्याओं में से 35 प्रतिशत इसी आयु वर्ग में होती हैं।

भरत लाल ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को असमान रूप से प्रभावित कर रहा है। देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए एनएचआरसी के सक्रिय उपायों का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसके विभिन्न केंद्रों और इस संबंध में कार्रवाई के लिए जारी किए गए सात प्रमुख क्षेत्रों का भी उल्लेख किया।

इससे पहले, एनएचआरसी के संयुक्त सचिव देवेंद्र कुमार निम ने राष्ट्रीय सम्मेलन का अवलोकन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि इसमें तीन सत्रों 'बच्चों और किशोरों में तनाव,' 'उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियां' और 'कार्यस्थल पर तनाव और थकान' का आयोजन होगा। इसका उद्देश्य जीवन के विभिन्न चरणों, शिक्षा से लेकर रोजगार तक में तनाव के मनोवैज्ञानिक प्रभावों का पता लगाना है तथा विभिन्न क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए सिफारिशें प्रस्तावित करना है।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. वीके पॉल ने 'बच्चों और किशोरों में तनाव' विषय पर पहले सत्र की अध्यक्षता करते हुए कहा कि स्वास्थ्य एक मानव अधिकार है और इसमें मानसिक स्वास्थ्य भी शामिल है। उन्होंने कहा कि आज बच्चे और किशोर मानसिक स्वास्थ्य की भयावह स्थितियों से जूझ रहे हैं। 4 लाख छात्रों के बीच किए गए एनसीईआरटी सर्वेक्षण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि उनमें से 81 प्रतिशत परीक्षा की चिंता से प्रभावित हैं। उनमें से 43 प्रतिशत का मूड स्विंग होता है, उन्हें तकनीक-संचालित संचार उपकरणों और मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग करने की आदत होती है और कार्यस्थल पर काम करने वाले 60 प्रतिशत पेशेवर अत्यधिक या उच्च तनाव महसूस करते हैं। समस्या का स्वरुप बहुत बड़ा है, जिसके लिए सामाजिक प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाने के तरीके खोजने की आवश्यकता है, ताकि बदमाशी, रैगिंग, नशीली दवाओं के उपयोग, बॉस के व्यवहार आदि के कारण होने वाले तनाव को पहचाना जा सके।

इस सत्र की सह-अध्यक्षता एम्स में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉ. राजेश सागर ने की। विशेषज्ञ वक्ताओं में सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह, एनटीए के पूर्व महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह, रीड इंडिया की भारत निदेशक डॉ. गीता मल्होत्रा, एम्स, नई दिल्ली में मनोचिकित्सा के प्रोफेसर डॉ. नंद कुमार, डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विद्यालय, प्रेसिडेंट स्टेट, नई दिल्ली की प्रिंसिपल डॉ. चारू शर्मा, यूनिसेफ की बाल संरक्षण विशेषज्ञ विजयलक्ष्मी अरोड़ा और पीएमपीवाई और डिजिटल शिक्षा के अपर सचिव आनंद राव पाटिल शामिल थे।

संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष प्रीति सूदन ने 'उच्च शिक्षण संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों' पर दूसरे सत्र की अध्यक्षता की और सह-अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रो. अभय करंदीकर ने की। वक्ताओं ने राज्य के चल रहे प्रयासों की सराहना करते हुए बेहतर परामर्श सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य पाठ्यक्रम, जागरूकता अभियान और इसी तरह के अन्य कदमों की आवश्यकता पर जोर दिया, जो युवाओं के समग्र मानसिक स्वास्थ्य को प्रोत्साहन देने में सहायता करेंगे। वक्ताओं में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष डॉ. बीएन गंगाधर, एमेरिटस प्रोफेसर और एम्स के पूर्व निदेशक डॉ. एमसी मिश्रा, मेदांता, गुरुग्राम के इंटरनल मेडिसिन के अध्यक्ष डॉ. रणदीप गुलेरिया, आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मनिंद्र अग्रवाल और फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय सचिव डॉ. मीत घोनिया शामिल थे।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने 'कार्यस्थलों पर तनाव और थकान' विषय पर आयोजित तीसरे सत्र की अध्यक्षता की तथा सह-अध्यक्षता इन्वेस्ट इंडिया के पूर्व सीईओ एवं एमडी दीपक बागला ने की।

वक्ताओं ने कार्य-जीवन संतुलन पर जोर दिया,इसमें युवा कर्मचारियों पर विशेष जोर था। उन्होंने तनाव प्रबंधन नीतियों के व्यावहारिक कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित किया, अग्रणी व्यक्तियो से आग्रह किया कि वे सक्रिय रूप से ऐसी रणनीतियों को लागू करें जो बर्नआउट को कम करें और मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करें। वक्ताओं में मनोज यादव, डीजी, रेलवे सुरक्षा बल; पूर्व डीजी, एनएचआरसी, डॉ आरके धमीजा, निदेशक, आईएचबीएएस, दिल्ली, गोपिका पंत, प्रमुख, इंडियन लॉ पार्टनर्स, नई दिल्ली, मुकेश बुटानी, संस्थापक और प्रबंध भागीदार, बीएमआर लीगल एडवोकेट्स और डीपी नांबियार, वीपी – एचआर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज शामिल थे।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए सरकार को अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न सुझावों पर आगे विचार-विमर्श करेगा।

Andhra Pradesh: 'बीला आंदोलनकारियों के खिलाफ मामले वापस लो'

https://jantaserishta.com/local/andhra-pradesh/andhra-pradesh-withdraw-cases-against-beela-agitators-3699925#

13 Dec 2024 5:20 PM

Srikakulam श्रीकाकुलम : राष्ट्रीय बीसी कल्याण संघ (एनबीसीडब्ल्यूए), एपी बीसी अधिवक्ता संघ (एपीबीसीएए) और उत्तराखंड पत्रकार मोर्चा (यूजेएफ) के नेताओं ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (**एनएचआरसी**) की अध्यक्ष सयानी विजया भारती से सोमपेटा मंडल के बीला वेटलैंड्स में प्रस्तावित थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) के पीड़ितों के खिलाफ पुलिस मामले हटाने का आग्रह किया।

उन्होंने गुरुवार को श्रीकाकुलम में एनएचआरसी अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा, जब वह श्रीकाकुलम में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुईं।

इस अवसर पर एनबीसीडब्ल्यूए की राज्य सचिव बीना ढिल्ली राव, यूजेएफ के अध्यक्ष चौधरी लक्ष्मण राव, एपीबीसीएए के जिला अध्यक्ष अगुरु उमामहेश्वर राव, एनबीसीडब्ल्यूए की जिला अध्यक्ष अमीरुल्ला बेग, महिला विंग की सचिव बद्री सीताम्मा यादव और पत्रकारों ने बताया कि पुलिस ने बीला वेटलैंड्स में थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) का विरोध करने वाले 723 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं, क्योंकि यह पर्यावरण और आसपास के गांवों के निवासियों की आजीविका के लिए खतरा है।

उन्होंने हंस इंडिया में बीला टीपीपी मुद्दे पर अलग-अलग मौकों पर प्रकाशित समाचार दिखाए और ज्ञापन के साथ उनकी कतरनें भी संलग्न कीं। ज्ञापन प्राप्त करने और उनकी बातें सुनने के बाद एनएचआरसी अध्यक्ष ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और सरकार से विवरण सत्यापित करने के बाद इस मुद्दे पर विचार करने का वादा किया।

मानवाधिकार दिवस और उसका हनन

https://hindi.newsclick.in/Human-Rights-Day-and-its-violations

सुनील कुमार | 13 Dec 2024

मानवाधिकार दिवस आज मुखौटे के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। यह केवल भारत में ही नहीं दुनिया स्तर पर देखा जाये जैसा कि अभी हम फ़िलिस्तीन में देख सकते हैं।

10 दिसम्बर को विश्व भर में मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। मानवाधिकार केवल अमूर्त विचार नहीं हैं। इसके लिए विभिन्न घोषणाओं, संधियों और विधेयकों के माध्यम से कार्यान्वयन योग्य मानक बनाए गए हैं। मानवाधिकार गारंटी देता है कि लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को संबोधित किया जाए, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता मानव अधिकारों द्वारा संभव है। इसके तहत सरकार से जवाबदेही मांगी जाती है।

सामान्यतः मानवाधिकार वे अधिकार हैं, जो हमारे पास इसलिये हैं क्योंकि हम मनुष्य हैं। राष्ट्रीयता, लिंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, रंग, धर्म, भाषा या किसी अन्य स्थिति की परवाह किये बिना ये हम सभी के लिये सार्वभौमिक अधिकार देता हैं। इनमें सबसे मौलिक, जीवन के अधिकार से लेकर वे अधिकार शामिल हैं, जो जीवन को जीने लायक बनाते हैं, जैसे कि भोजन, शिक्षा, काम, स्वास्थ्य और स्वतंत्रता का अधिकार।

मानवाधिकार विभाजन और अन्याय नहीं होने देने वाला हैं। इसका अर्थ है कि एक अधिकार की पूर्ति अक्सर अन्य अधिकारों पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, शिक्षा का अधिकार चुनाव में मतदान करने जैसे राजनीतिक अधिकारं का प्रयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह, स्वास्थ्य का अधिकार और स्वच्छ जल तक पहुँच जीवन के अधिकार के लिए महत्वपूर्ण हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर टर्क ने कहा है- "मानवाधिकार लोगों के बारे में हैं, यह आपके व आप सभी के जीवन से सम्बन्धित हैः आपकी ज़रूरतों, इच्छाओं व डर के बारे में तथा वर्तमान एवं भविष्य के लिए आपकी उम्मीदों के बारे में है।"

इस बार मानवाधिकार दिवस का थीम रखी गयी– ''"हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी", जिस पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस ने अपने संदेश में कहा है कि इस वर्ष का विषय हमें याद दिलाता है कि- ''मानव अधिकारों का उद्देश्य - अभी भविष्य का निर्माण करना है। सभी मानव अधिकार अविभाज्य हैं। चाहे आर्थिक मानव अधिकार हों, सामाजिक हों, नागरिक हों, सांस्कृतिक या राजनीतिक हों। जब एक अधिकार का हनन होता है, तो सभी अधिकार कम हो जाते हैं। हमें हमेशा सभी अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए।''

मानवाधिकार के अवसर पर एनएचआरसी की कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमती विजया भारती सयानी कहती हैं कि "हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, इस विश्वास को पुष्ट करता है कि मानव अधिकार केवल एक आकांक्षा

नहीं है, बल्कि बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाने का एक व्यावहारिक साधन है। मानव अधिकारों की परिवर्तनकारी क्षमता को अपनाकर, हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जो अधिक शांतिपूर्ण, न्यायसंगत और चिरस्थायी हो। वे आगे कहती हैं कि आज, हम जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण, आतंकवाद, और राष्ट्रों की सीमाओं के भीतर और बाहर संघर्ष जैसी जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जो बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दे रहे हैं।

एनएचआरसी ने 10 दिसम्बर, 2024 को विज्ञान भवन में मानवाधिकार दिवस मानाया, जिसकी मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु थी। उन्होंने कहा कि ‘‘इस दिवस को मनाने का उद्देश्य एक ऐसी दुनिया के निर्माण में योगदान करने के हमारे सामूहिक संकल्प की पुष्टि करना है, जहाँ न्याय और मानवीय गरिमा समाज का आधार हैं।’’ आगे वे कहती हैं ‘‘हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वालों का कल्याण हमारी प्राथमिकता बनी रहे। हम सभी को मानसिक बीमारी से जुड़े किसी भी कलंक को दूर करने, जागरूकता पैदा करने और जरूरतमंद लोगों की मदद करने की दिशा में काम करना चाहिए।’’

मानवाधिकार का इतिहास और कर्तव्य

10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाया। 1950 से 10 दिसम्बर को हर साल मानवाधिकार दिवस मनाया जाने लगा। यूडीएचआर के घोषणापत्र कें अनुच्छेद 4 से लेकर अनुच्छेद 21 तक नागरिक व राजनीतिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इनके अन्तर्गत आने वाले प्रमुख अधिकार इस प्रकार हैं-

* दासता से मुक्ति का अधिकार

* निर्दयी, अमानवीय व्यवहार अथवा सज़ा से मुक्ति का अधिकार

* कानून के समक्ष समानता का अधिकार

* प्रभावशाली न्यायिक उपचार का अधिकार

* आवागमन तथा निवास स्थान चुनने की स्वतंत्रता

S शादी करके घर बसाने का अधिकार

* विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

* उचित निष्पक्ष मुकदमे का अधिकार

* मनमर्जी की गिरफ्तारी का विरोध, जमानत का अधिकार

* न्यायालय द्वारा सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार

* अपराधी साबित होने से पहले बेगुनाह माने जाने का अधिकार

* व्यक्ति की गोपनीयता, घर, परिवार तथा पत्र व्यवहार में अवांछनीय हस्तक्षेप पर प्रतिबंध

* शांतिपूर्ण ढंग से किसी स्थान पर इकट्ठा होने का अधिकार

* शरण प्राप्त करने का अधिकार

* राष्ट्रीयता का अधिकार

* अपने देश की सरकारी गतिविधियों में भाग लेने का अधिकार

* अपने देश की सार्वजनिक सेवाओं तक सामान पहुंच का अधिकार

* आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों के अतिरिक्त, घोषणापत्र के अगले छह अनुच्छेदों में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के बारे में बताया गया है। इनके अंतर्गत आने वाले प्रमुख अधिकार निम्नलिखित हैं-

* सामाजिक सुरक्षा का अधिकार

* समान काम के लिये समान वेतन का अधिकार

* काम करने का अधिकार

* आराम तथा फुर्सत का अधिकार

* शिक्षा तथा समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार.

भारत ने भी यूडीएचआर की घोषणा पर हस्ताक्षर किया है और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICESCR) एवं नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध (ICCPR) को माना है। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना वर्ष 1993 में की गई थी। जिस कानून के तहत इसे स्थापित किया गया है, वह है-मानवाधिकार अधिनियम (PHRA), 1993 का संरक्षण। यह अधिनियम राज्य मानवाधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान में मानवाधिकारों के कई प्रावधानों को शामिल किया गया है। मौलिक अधिकारों का भाग III अनुच्छेद 14 से 32 तक. संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक भारत के प्रत्येक नागरिक को समानता के अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है और अनुच्छेद 21 जीवन एवं स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। मौलिक मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में नागरिक अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्त्व अनुच्छेद 36 से 51 तक है।

भारत में मानवाधिकार की स्थिति

मानवाधिकार दिवस से दो दिन पहले 8 दिसम्बर को ही उ.प्र. हाईकोर्ट के एक जज कहते हैं कि "हिन्दुस्तान में रहने वाले बहुसंख्यक के अनुसार ही देश चलेगा।" इसी तरह एनएचआरसी के चेयरमैन अरूण मिश्रा ने सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए रेलवे किनारे की झुग्गी बस्तियों को तोड़ने के लिए जो ऑर्डर दिया, वो भी मानवाधिकार के खिलाफ है। उन्होंने रेलवे किनारे के करीब 48 हजार झुग्गियों को तोड़ने का ऑर्डर देते हुए कहा था-किसी भी अदालत द्वारा रोक का कोई भी आदेश अप्रभावी माना जाएगा। इस काम में किसी भी तरह का राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। लेकिन पुनर्वास के मुद्दे पर वह तल्खी सरकारी एजेंसियों को नहीं दिखाई। राष्ट्रपति जहां मानवाधिकार दिवस पर बोलते हुए कहती हैं कि जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण क्षरण बड़े पैमाने पर मानव अधिकारों के उल्लंघन को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक उसके अगले दिन पर्यावरण के लड़ाई लड़ने वाले प्रदीप कुमार नायक (पवित्र नायक) को ओड़िसा पुलिस पकड़ लेती है, जो कि राष्ट्रपति का गृह राज्य भी है। तिजिमाली, कुटरूमाली और माजनमाली को वेदांता और अदानी के कम्पनी को दिया जा रहा है। उसके खिलाफ वहां की हाशिये पर जी रही जनता संघर्ष कर रही है। उसी में से प्रदीप नायक को 11 बजे की सुबह 3.30 पर कटक से रायगड़ा वापस आते समय रास्ते में बस से उतार कर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि राष्ट्रपति कहती हैं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों, विशेष रूप से कमजोर क्षेत्रों में रहने वालों का कल्याण हमारी प्राथमिकता बनी रहे। राष्ट्रपति के भाषण को 24 घंटे भी नहीं बीते थे और जल-जंगल-जमीन को बचाने की लड़ाई लड़ने और सबसे हाशिये पर जीने वाले समुदाय की गिरफ्तारी हो जाती है।

हमने यूपी के उपचुनाव में देखा कि ककरौली में वोट डालने जाते समय दो मुस्लिम महिलाओं के सामने एक पुलिस अधिकारी पिस्तौल ताने खड़ा है। दिल्ली में जनता को धरना-प्रदर्शन की अनुमति जल्दी नहीं दी जाती है। अगर पुलिस अनुमति देती भी है तो कई तरह के प्रतिबंध लगाती है। सरकार से अलग विचार रखने पर लोगों को टारगेट कर झूठे केसों में फंसा कर जेल में डाल दिया जाता है।

जेल में बंद 83 वर्षीय स्टीफन स्वामी जैसे वृद्ध को उचित देखभाल और इलाज के अभाव में मार दिया जाता है तो वहीं 35 वर्षीय पांडू नारोटे की भी जान जेल में इलाज के अभाव में चली जाती है। मई 2018 में तामिलनाडु में विरोध प्रदर्शन पर स्नाइपर से गोली चलवाई जाती है, जिसमें 11 लोगों की मौत हो जाती है। यह तो कुछ बानगी है, इस तरह के मानवाधिकार उल्लंघन के मामले देश भर में चलते रहते हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 26 जुलाई 2022 को लोकसभा में बताया कि "भारत में हिरासत में होने वाली मौतों की संख्या 2020-21 में 1,940 तथा 2021-22 में 2544 रही है।" भारत के जेलों में सबसे ज्यादा संख्या हाशिये पर जी रहे लोगों की है। मध्यभारत में जल-जंगल-जमीन बचाने की लड़ाई, जो कि पर्यावण और जलवायु बचाने की भी लड़ाई है, उसमें बड़ी संख्या में आदिवासियों को माओवादी कहकर जेलों में डाला जा रहा है और मारा जा रहा हैं। आज भारत के अन्दर 'हम क्या चाहते हैं, आजादी' के नारे को ही देशद्रोही मान लिया गया है। इससे संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के प्रमुख वोल्कर टर्क की वह बात सही साबित होती है जो कि जेनोवा में कही थी- मौजूदा दौर में मानवाधिकारों का ना केवल उल्लंघन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें औज़ार

के रूप में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जानबूझकर ग़लत जानकारी फैलाने (Disinformation) के मामलों में तेज़ी आ रही है।

मानवाधिकार सभी के लिए हर जगह, केवल मानव होने के कारण होते हैं। वे जाति, लिंग, राष्ट्रीयता या मान्यताओं से परे होते हैं, तथा सभी के लिए अंतर्निहित समानता और सम्मान सुनिश्चित करते हैं। इसमें आज दुनिया की सभी सरकारें फेल होती दिख रही हैं। मानवाधिकार दिवस आज मुखौटे के अलावा और कुछ नहीं रह गया है। यह केवल भारत में ही नहीं दुनिया स्तर पर देखा जाये जैसा कि अभी हम फ़िलिस्तीन में देख सकते हैं।

NHRC, India's National Conference on Mental well-being: Navigating Stress from Classroom to Workplace concludes with various suggestions

https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2084262

NHRC Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani calls for creating a world where mental health is not an afterthought but a fundamental aspect of how we live, work, and thrive

The conference calls for a comprehensive approach to identify the causes of stresses from classrooms to workplaces, streamlining life and work ethics to contribute more meaningfully to society

Posted On: 13 DEC 2024 5:46PM by PIB Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC), India organised a day-long National Conference on 'Mental Well-being: Navigating Stress from Classroom to Workplace' at Vigyan Bhavan, New Delhi. The conference brought together experts, policymakers, and stakeholders to discuss the relationship between mental health, stress, and well-being.

Delivering the keynote address in the inaugural session, NHRC, India Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani called for creating a world where mental health is not an afterthought but a fundamental aspect of how we live, work, and thrive. Teachers and administrators must also be trained to recognise signs of distress and provide timely support to students. While digital tools have revolutionised education, they also bring challenges such as the distractions of social media, cyber-bullying, and the overwhelming exposure to information. The always-online culture often leaves little room for reflection or mental rest, further amplifying stress.

Referring to workplace stresses, the NHRC, India Acting Chairperson said that organizations must go beyond wellness programs and foster a genuine culture of empathy and care. She emphasised that the pressures of work are not limited to employees at the beginning of careers but across all levels of the professional hierarchy. The role of families and communities cannot be understated. Supportive relationships are the cornerstone of mental well-being. By acknowledging that mental health is a shared responsibility, we can collectively build a society that values well-being as much as it does achievement. She also underscored the significance of Indian scriptures about the relevance of the following principles of mental discipline and self-awareness in achieving peace.

Dr V. K. Paul, Member of NITI Aayog, said that mental stress and well-being need a thorough understanding. Discourse among the various stakeholders is the key to finding solutions to this serious problem impacting different segments of our society.

Before this, NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal said that in India, the challenges related to mental health are stark. Over 1.7 lakh suicides were reported in 2022 alone, with 41% of victims under the age of 30. This data underlines the urgent need for systemic change and multi-sectoral collaboration to address the crisis. People aged 15 to 24 years have the highest suicide rate in India, which is consistent with international trends in youth suicide. 35% of recorded suicides in India occur in this age group.

Shri Lal said that mental health is disproportionately affecting the youth, women and elderly. Referring to NHRC's proactive measures to improve mental healthcare in the country, he also mentioned its various concentrations and the seven key areas for action in this regard issued in its advisory.

Earlier, NHRC, India Joint Secretary, Shri Devendra Kumar Nim gave an overview of the national conference. He said that there will be three sessions: 'Stress among children and adolescents,' 'Mental health challenges in institutions of higher learning' and 'Stress and burnout at workplace.' It aims to explore the psychological impacts of stress at various stages of life—from education to employment to propose recommendations to promote mental well-being across different sectors.

Chairing the first session on 'Stress among children and adolescents', Dr V. K. Paul, Member, NITI Aayog said that health is a human right, and by extension it includes mental health also. He said that today children and adolescents are faced with devastating mental health conditions. Referring to an NCERT survey among 4 lakh students, he said that 81% of them were affected by anxiety about exams. 43% of them had mood swings, being in the habit of excessive use of technology-driven communication tools, and mobile phones, and 60% of workplace professionals felt extreme or high stress. The size of the problem is huge, requiring a societal response. It is necessary to find ways to create a mental healthcare system to pinpoint issues causing distress due to bullying, ragging, use of drugs, behavior of bosses, etc.

The session was co-chaired by Dr. Rajesh Sagar, Prof. of Psychiatry, AIIMS. The expert speakers included Shri Rahul Singh, Chairman, CBSE, Shri Subodh Kumar Singh, Former DG – NTA, Dr Geeta Malhotra, Country Director, READ India, Dr. Nand Kumar, Prof. of Psychiatry, AIIMS, New Delhi, Dr Charu Sharma, Principal, Dr Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, Presidents State, New Delhi, Ms. Vijayalakshmi Arora, Child Protection Specialist, UNICEF and Shri Anand Rao Patil, Additional Secretary, PMPY and Digital Education.

The second session on ‘Mental health challenges in institutions of higher learning’ was chaired by Mrs Preeti Sudan, Chairman of, the Union Public Service Commission, and co-chaired by Prof. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science & Technology. The speakers, while recognizing the ongoing efforts of the state, emphasized the need for better counseling services, mental health curriculum, awareness campaigns, and other similar steps that would help promote the overall mental well-being of youth. The speakers included Dr. B. N. Gangadhar, Chairperson, National Medical Commission, Dr M. C. Mishra, Emeritus Professor, Former Director, AIIMS, Dr. Randeep Guleria, Chairman, Internal Medicine, Medanta, Gurugram, Prof Manindra Agrawal, Director, IIT Kanpur and Dr. Meet Ghonia, National Secretary, Federation of Resident Doctors' Association.

The third session on ‘Stress and burnout at workplaces’ was chaired by Shri Rajiv Kumar, Former Vice Chairman, of NITI Aayog, and co-chaired by Shri Deepak Bagla, Former CEO & MD, of Invest India.

The speakers emphasised work-life balance, particularly among younger employees. They underscored the need for practical implementation of stress management policies, urging leaders to actively enforce strategies that reduce burnout and support mental health. The speakers included Shri Manoj Yadav, DG, Railway Protection Force; Former DG, NHRC, Dr R. K. Dhamija, Director, IHBAS, Delhi, Ms Gopika Pant, Head, Indian Law Partners, New Delhi, Shri Mukesh Butani, Founder & Managing Partner, BMR Legal Advocates and Shri D. P. Nambiar, VP - HR, Tata Consultancy Services.

The Commission will further deliberate upon the various suggestions to finalise its recommendations to the government to improve the mental well-being of individuals in the country.

NHRC holds a conference of SHRCs, Special Rapporteurs and Monitors for increasing cooperation in advancing human rights

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2084268

NHRC, India Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani stresses the need for addressing challenges in complaint management, disseminating its advisories at the state level, and sharing best practices

The following of NHRC Advisories by the SHRCs for implementation at the State level emphasized

NHRC and SHRCs need to continue working in tandem to strengthen the human rights institutional framework in the country, says NHRC Secretary General, Shri Bharat Lal

Posted On: 13 DEC 2024 5:52PM by PIB Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC), India organised a conference with the State Human Rights Commissions (SHRCs), Special Rapporteurs, and Monitors in New Delhi. The goal was to enhance collaboration between the NHRC, its Special Rapporteurs and Monitors, and the SHRCs to promote and protect human rights in the country.

In the inaugural session, NHRC, India Acting Chairperson, Smt. Vijaya Bharathi Sayani emphasised the importance of collaboration in assessing the improvement in the human rights situation. She highlighted the need for addressing challenges in complaint management, disseminating NHRC advisories at the state level, and sharing best practices. SHRCs were encouraged to visit facilities like Ashramshalas, mental health institutions, and shelters for vulnerable groups to bridge implementation gaps and ensure actions reach grassroots levels.

NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal stressed that SHRCs must follow up with the State authorities for the implementation of the NHRC advisories for the protection of vulnerable sections of society. NHRC and SHRCs need to continue working in tandem to strengthen the human rights institutional framework in the country. He also pointed out the importance of SHRCs supporting NHRC Special Rapporteurs and Monitors in coordinating with local as well as senior authorities at the State level to assess situations and suggest corrective measures. He reiterated the joining of the HRCNet portal by all the remaining SHRCs to avoid the duplication of interventions and the wastage of manpower.

The first session, chaired by the NHRC, India Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani, focused on complaint management, follow-up actions on NHRC advisories,

sharing best practices, and capacity building for SHRCs. It also discussed suggestions from SHRCs for more effective collaboration with NHRC in promoting human rights.

The second session, chaired by Shri Bharat Lal, focused on the visits and reports of Special Rapporteurs and Monitors. It was emphasised that their reports should be crisp and on fixed parameters to help the Commission make necessary recommendations to the concerned Government authorities. Expanding the areas of assessment visits and prioritising a calendar of their activities to get SHRC support was also emphasised.

The discussions led to several ideas for improving cooperation between the NHRC, its Special Rapporteurs and Monitors, and SHRCs to assess the human rights situation on the ground to suggest necessary measures to the Government agencies in India.

The conference was attended by the Chairpersons, Members and senior officers of the respective State Human Rights Commissions, senior officers of the NHRC and its Special Monitors and Rapporteurs.

NHRC, India's National Conference on Mental well-being: Navigating Stress from Classroom to Workplace concludes with various suggestions

https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2084262

NHRC Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani calls for creating a world where mental health is not an afterthought but a fundamental aspect of how we live, work, and thrive

The conference calls for a comprehensive approach to identify the causes of stresses from classrooms to workplaces, streamlining life and work ethics to contribute more meaningfully to society

Posted On: 13 DEC 2024 5:46PM by PIB Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC), India organised a day-long National Conference on 'Mental Well-being: Navigating Stress from Classroom to Workplace' at Vigyan Bhavan, New Delhi. The conference brought together experts, policymakers, and stakeholders to discuss the relationship between mental health, stress, and well-being.

Delivering the keynote address in the inaugural session, NHRC, India Acting Chairperson, Smt Vijaya Bharathi Sayani called for creating a world where mental health is not an afterthought but a fundamental aspect of how we live, work, and thrive. Teachers and administrators must also be trained to recognise signs of distress and provide timely support to students. While digital tools have revolutionised education, they also bring challenges such as the distractions of social media, cyber-bullying, and the overwhelming exposure to information. The always-online culture often leaves little room for reflection or mental rest, further amplifying stress.

Referring to workplace stresses, the NHRC, India Acting Chairperson said that organizations must go beyond wellness programs and foster a genuine culture of empathy and care. She emphasised that the pressures of work are not limited to employees at the beginning of careers but across all levels of the professional hierarchy. The role of families and communities cannot be understated. Supportive relationships are the cornerstone of mental well-being. By acknowledging that mental health is a shared responsibility, we can collectively build a society that values well-being as much as it does achievement. She also underscored the significance of Indian scriptures about the relevance of the following principles of mental discipline and self-awareness in achieving peace.

Dr V. K. Paul, Member of NITI Aayog, said that mental stress and well-being need a thorough understanding. Discourse among the various stakeholders is the key to finding solutions to this serious problem impacting different segments of our society.

Before this, NHRC, India Secretary General, Shri Bharat Lal said that in India, the challenges related to mental health are stark. Over 1.7 lakh suicides were reported in 2022 alone, with 41% of victims under the age of 30. This data underlines the urgent need for systemic change and multi-sectoral collaboration to address the crisis. People aged 15 to 24 years have the highest suicide rate in India, which is consistent with international trends in youth suicide. 35% of recorded suicides in India occur in this age group.

Shri Lal said that mental health is disproportionately affecting the youth, women and elderly. Referring to NHRC's proactive measures to improve mental healthcare in the country, he also mentioned its various concentrations and the seven key areas for action in this regard issued in its advisory.

Earlier, NHRC, India Joint Secretary, Shri Devendra Kumar Nim gave an overview of the national conference. He said that there will be three sessions: 'Stress among children and adolescents,' 'Mental health challenges in institutions of higher learning' and 'Stress and burnout at workplace.' It aims to explore the psychological impacts of stress at various stages of life—from education to employment to propose recommendations to promote mental well-being across different sectors.

Chairing the first session on 'Stress among children and adolescents', Dr V. K. Paul, Member, NITI Aayog said that health is a human right, and by extension it includes mental health also. He said that today children and adolescents are faced with devastating mental health conditions. Referring to an NCERT survey among 4 lakh students, he said that 81% of them were affected by anxiety about exams. 43% of them had mood swings, being in the habit of excessive use of technology-driven communication tools, and mobile phones, and 60% of workplace professionals felt extreme or high stress. The size of the problem is huge, requiring a societal response. It is necessary to find ways to create a mental healthcare system to pinpoint issues causing distress due to bullying, ragging, use of drugs, behavior of bosses, etc.

The session was co-chaired by Dr. Rajesh Sagar, Prof. of Psychiatry, AIIMS. The expert speakers included Shri Rahul Singh, Chairman, CBSE, Shri Subodh Kumar Singh, Former DG – NTA, Dr Geeta Malhotra, Country Director, READ India, Dr. Nand Kumar, Prof. of Psychiatry, AIIMS, New Delhi, Dr Charu Sharma, Principal, Dr Rajendra Prasad Kendriya Vidyalaya, Presidents State, New Delhi, Ms. Vijayalakshmi Arora, Child Protection Specialist, UNICEF and Shri Anand Rao Patil, Additional Secretary, PMPY and Digital Education.

The second session on ‘Mental health challenges in institutions of higher learning’ was chaired by Mrs Preeti Sudan, Chairman of, the Union Public Service Commission, and co-chaired by Prof. Abhay Karandikar, Secretary, Department of Science & Technology. The speakers, while recognizing the ongoing efforts of the state, emphasized the need for better counseling services, mental health curriculum, awareness campaigns, and other similar steps that would help promote the overall mental well-being of youth. The speakers included Dr. B. N. Gangadhar, Chairperson, National Medical Commission, Dr M. C. Mishra, Emeritus Professor, Former Director, AIIMS, Dr. Randeep Guleria, Chairman, Internal Medicine, Medanta, Gurugram, Prof Manindra Agrawal, Director, IIT Kanpur and Dr. Meet Ghonia, National Secretary, Federation of Resident Doctors' Association.

The third session on ‘Stress and burnout at workplaces’ was chaired by Shri Rajiv Kumar, Former Vice Chairman, of NITI Aayog, and co-chaired by Shri Deepak Bagla, Former CEO & MD, of Invest India.

The speakers emphasised work-life balance, particularly among younger employees. They underscored the need for practical implementation of stress management policies, urging leaders to actively enforce strategies that reduce burnout and support mental health. The speakers included Shri Manoj Yadav, DG, Railway Protection Force; Former DG, NHRC, Dr R. K. Dhamija, Director, IHBAS, Delhi, Ms Gopika Pant, Head, Indian Law Partners, New Delhi, Shri Mukesh Butani, Founder & Managing Partner, BMR Legal Advocates and Shri D. P. Nambiar, VP - HR, Tata Consultancy Services.

The Commission will further deliberate upon the various suggestions to finalise its recommendations to the government to improve the mental well-being of individuals in the country.